an>

Title: Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to take suitable meausres to promote agriculture education and research in the state.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के मॉडल एक्ट के अनुरूप उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रयास वर्ष 1995 से निरंतर किया जा रहा है। शासन की अपेक्षानुसार उ.प्र. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार कर वर्ष 1999, 2011 तथा 2012 में शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तदन्तर वर्ष 2013 में कृषि उत्पादन आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया। उक्त टास्क फोर्स कमेटी ने प्रदेश क समस्त कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिनांक 16, 17 अप्रैल, 2013 को दो दिवसीय सेशन के दौरान विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुतियां कृषि उत्पादन आयुक्त तथा शासन के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को प्रस्तुत की तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान दिए गए सुझावों को समाहित करते हुए टास्क फोर्सट कमेटी के अध्यक्ष ने स्पष्ट संस्तुति शासन को सौंप दी थी। पुनः शासन के आदेश के अनुपालन में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विभिन्न चरणों में बैठक कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की पूर्वंध समिति (जिसमें सभी कुलपतिगण सदस्य हैं) के अनुमोदनोपरांत शासन को प्रेषित किया गया। तदन्तर परिषद द्वारा पुनः दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम पर एक खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय राज्यपाल कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य मूर्धन्य कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपरोक्त सम्मानित प्रतिभागियों ने शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार अधिनियम को प्रदेश की कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा किसानों के हित में आंशिक संशोधन के साथ सर्वसम्मति प्रदान करते हुए तत्काल लागू किए जाने हेतु अनुशंसा दी है। परंतु उ.प्र. कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग संस्तुतियों को दर-किनार करते हुए अपने स्तर से तैयार अधिनियम को पारित कराना चाहता है, जो विज्ञान एवं वैज्ञानिक विचारों की उपेक्षा क साथ-साथ अनैतिक एवं असंवैधानिक भी हैं।

अतएव प्रदेश की कृषि एवं कृषकों के हितार्थ, कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण किए जाने के दृष्टिगत मैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग करता हूँ।